न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 106/2019
दायरी दिनांक : 04.10.2019

अनवान

1. खुमा पिता रूपा जाति गुर्जर निवासी रामथली तहसील माण्डलगढ।

वादी....

बनाम

1. मोडी पुत्री हीरा पत्नि जयलाल जाति गुर्जर निवासी रामथली हाल बीकरण तहसील माण्डलगढ़।
2. हमीरा पिता खुमा जाति गुर्जर निवासी रामथली तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ।

प्रतिवादीगण.....

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र कुमार पोरवाल (अधिवक्ता वादी)।
2. प्रतिवादीगण 1 से 3 तक एकतरफा कार्यवाही।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांकः 06.12.2021

वादी ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसके तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी के एकल खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भुमि ग्राम रामथली पटवार हल्का फूल जी की खेडी तहसील माण्डलगढ़ की शरहद में स्थित आराजी संख्या 748/655 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 749/655 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किता 2 रकबा 16 बीघा स्थित है। उक्त कृषि भुमि सम्वत् 2064 से 2067 में वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। ग्राम रामथली में खुमा पिता रूपा गुर्जर नाम का वादी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नही है। परन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से वादी को मृत मानते हुआ वादग्रस्त भुमि का विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 524 तस्दीक कर दिनांक 15.11.2020 को वादी के स्थान पर वादग्रस्त भुमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हीरा व प्रतिवादी संख्या 2 हमीरा पिता खुमा के नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी जीवित है एवं वादी का प्रतिवादीगण से कोई रक्त सम्बन्ध भी नही है उक्त त्रुटि वादी का नाम खुमा होने एवं प्रतिवादी संख्या 2 हमीरा के पिता का नाम भी खुमा होने से हुयी है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 1 के दादा व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता नाम खुमा था तथा इनके एक भाई लादु पिता खुमा था और लादु की मृत्यु होने से उसकी अन्य जमीन अराजी संख्या 206 का नामान्तकरण हीरा व हमीरा के नाम तस्दीक किया जाना था इस वजह से राजस्व कर्मचारियो ने उक्त त्रुटि पारित कर बिना सही जांच किए वादी का मृत बताकर वादी व प्रतिवादीगण की जमीनों का एक ही नामान्तकरण तस्दीक अमल कर दिया एवं वाद में प्रतिवादीया संख्या 1 के पिता हीरा की मृत्यु हो जाने से उसकी पुत्री प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम वादी की भुमि 1/2 हिस्से से नामान्तरित कर दी गयी। वादग्रस्त भुमि की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दी गयी खातेदारी विधि विरूद्व होकर प्रारम्मता शुन्य है राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हटाया जाकर वादी को पुनः वादग्रस्त भुमि का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र बाद जांच दिनांक 04.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन से तलब किया गया। दिनांक 4.11.2019 को प्रतिवादी संख्या

Scanned with CamScanner